

निलामी सूचना संख्या 03 वर्ष 2018-19

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भाखड़ा सिस्टम की नवां माईनर के प0नं0 138/237 से 134/239 तक सीएडी विभाग द्वारा माईनर के स्थान पर जलमार्ग का निर्माण करने पर नहर पर विघटित (Dismantalled Bricks & bats) सामग्री की बोली/निलामी दिनांक 11.02.2019 को प्रातः 11.00 बजे की जावेगी। इच्छुक बोलीदाता दिनांक 11.02.2019 को निर्धारित धरोहर राशि जमा करवाकर बोली/निलामी कार्यवाही में भाग ले सकता है। विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	कार्य स्थल का विवरण	अनुमानित राशि	धरोहर राशि	बोली किये जाने का स्थान
1.	नवां माईनर प0नं0 138/237 से 134/239 तक सीएडी विभाग द्वारा माईनर के स्थान पर जलमार्ग निर्माण करने पर	7214.00	500.00	खण्ड कार्यालय, सिंचाई परिसर हनुमानगढ़। प्रातः 11:00 बजे

निलामी की शर्तें :-

- बोलीदाता निलामी से पूर्व कार्यस्थल पर विघटित (Dismantalled) सामग्री का निरीक्षण "जैसा है जहां है" स्वयं के खर्चे पर कर सकता है। निलामी में भाग लेते समय समझा जावेगा कि बोली देने से पूर्व बोलीदाता द्वारा कार्यस्थल का निरीक्षण व विभाग की शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है।
- उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटते ही बोली की सम्पूर्ण राशि मौके पर जमा करवानी होगी।
- उच्चतम बोलीदाता को आयकर आदि जो भी निम्नानुसार देय होंगे, उच्चतम बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा एवं आयकर पंजीयन पै नं0 उपलब्ध करवाना होगा। अन्यथा नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी।
- निलामी को निरस्त/स्वीकृत करने का अधिकार निलामी कमेटी का होगा, जो सभी को मान्य होगा।
- विघटित (Dismantalled) सामग्री ले जाने की अवधि स्वीकृति दिनांक से तीन दिवस तक होगी।
- विघटित (Dismantalled) सामग्री निकाले जाने के दौरान किसी प्रकार की क्षति होती है तो उसकी समस्त जिम्मेवारी उच्चतम बोलीदाता की होगी तथा क्षति का हर्जाना बोलीदाता को वहन करना होगा, जो कि विभाग सूचित करेगा, वह मान्य होगा।
- निर्धारित दिनांक को किसी कारणवश निलामी असफल/स्थगित होने पर आगामी कार्य दिवस को की जावेगी।

अधिशाषी अभियन्ता

जल संसाधन खण्ड द्वितीय

हनुमानगढ़

दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित/प्रस्तुत है :-

- श्रीमान् अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन वृत्त, हनुमानगढ़।
- श्रीमान् जिला कोषाधिकारी, हनुमानगढ़।
- सहायक अभियंता, जल संसाधन उपखण्ड खारा/ घग्घर, हनुमानगढ़ को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निलामी का समुचित प्रचार प्रसार अपने कार्यालय स्तर से करवाने की व्यवस्था करें एव इसे अंतिम प्रयास समझा जावे।
- रोकड़ लिपिक खण्डीय कार्यालय।
- नोटिस बोर्ड।

अधिशाषी अभियंता